कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2666 /आगरा/32379/2018, दिनांक, लखनऊ, मार्च 15 , 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,
आगरा वृत्त,
आगरा।

विषय : आगरा में जल सम्पूर्ति (गंगा जल प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत कैलाश मन्दिर से जीवनी मण्डी, वाटर वर्क्स तक उ0प्र0 जल निगम आगरा द्वारा बिछाई गयी पाइपलाइन में प्रयुक्त अतिरिक्त 10.22375 हे0 आरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ : आपका पत्रांक–4182/14–1, दिनांक 13.03.2018

महोदय,

विषयगत प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें व अभिलेख पूर्ण व सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– प्रस्तावित वनभूमि एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित स्थल 1:50000 स्केल टोपोशीट को मूल रूप में संलग्न नहीं किया गया है।

2– प्रस्ताव के साथ संलग्न अधिकतर अभिलेख यथा–संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, एन0पी0वी0 की गणना, चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र आदि में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल कटिंग किया गया है, जो सुसंगत नहीं है। संशोधित अभिलेखों को ऑनलाइन पार्ट–1 एवं 2 में यथास्थान अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

3– प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में उल्लंघन ही नहीं हुआ है, जबकि प्रकरण में पूर्व में आपके स्तर से प्राप्त उल्लंघन की रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जा चुकी है। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लंघन की स्थिति को स्पष्ट कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

4– प्रस्तावित वनभूमि की प्रीमियम एवं लीज रेंट के भुगतान हेतु प्रयोक्ता एजेंसी की वचनबद्धता संलग्न नहीं है। ऑनलाइन अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

5– परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई वन्यजीव विहार/सेंचुरी न पड़ने के सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्ताव की प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त की गयी हैं। कृपया उक्तानुसार संशोधित प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय को तीन दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,
(हस्ताक्षर) 15/3
(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 2666 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, आगरा।

2– महाप्रबन्धक, गंगाजल परियोजना इकाई, उ0प्र0 जल निगम, 4–4 संजय प्लेस, आगरा।

(हस्ताक्षर) 15/3
(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा
पत्रांक 4275/14–1 आगरा, दिनांक 16-3-2018

प्रतिलिपि - प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त उल्लिखित आपत्तियों का निराकरण करते हुए संशोधित प्रस्ताव 02 दिनों के अन्दर ऑनलाइन करें/ ऑफलाइन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(हस्ताक्षर) 15/3/18
वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा